फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी :– श्री पंचाल कैलाश | **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. | **पत्रावली संख्या : 116/24**

जीसीएमएस : 2024/464

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 09.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल है। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम केवलराम पिता भीमा एवं कैलाश पिता भीमा गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, ग्राम पंचायत बडियार द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 05.08.2024, प्रार्थी स्वयं का 50/– रूपये स्टाम्प पर शपथ पत्र, सहखातेदार भगवानलाल पिता भीमा का 50/– रूपये स्टाम्प पर शपथ पत्र, सहखातेदार कालु पिता भीमा का 50/– रूपये स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में प्रार्थी का नाम पंचाल कैलाश भाई पिता भीमा अंकित है। तहसीलदार मावली द्वारा भी रिपोर्ट पेश कर केवलराम पिता भीमा व कैलाश पिता भीमा दोनो को एक ही व्यक्ति होना बताया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार मावली की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बडियार पटवार हल्का बडियार तह. मावली की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 86, 169, 173, 167 भूमि में खातेदार केवलराम पिता भीमा व कैलाश पिता भीमा के बजाय पंचाल कैलाश भाई उर्फ केवलराम उर्फ कैलाश पिता भीमा संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:49:43 IST
Reason: SelfAttested